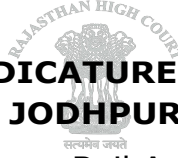




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3251/2026

Abdul Gaffar S/o Junab Ali, Aged About 32 Years, R/o Hindore,
Rajiyasar, P.s. Rajiyasar, District Sriganganagar (Raj.).in Judicial
Custody At District Jail, Bikaner.

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Amit Gour
For Respondent(s)	:	Mr. Narendra Gehlot, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

27/03/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना नापासर जिला बीकानेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 34/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 14/57, 19/54, 54, 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी-अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। पूर्व में इस प्रकृति का प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। यह मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी-अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली व प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन किया।



06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **अब्दुल गफार पुत्र जुनाब अली**, उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J